UPBS010011902023

न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03, बस्ती।

पीठासीन अधिकारी- (अनिल कुमार खरवार), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) -UP06500**

सेशन केस संख्या ---------268/2023

सरकार .....प्रति.....विजय कुमार उर्फ लल्लन मिश्रा

अपराध संख्या-132/2018
धारा-323,308,452,504,506 भा०दं०सं०
थाना- कप्तानगंज , जिला बस्ती।

आरोप

मैं, अनिल कुमार खरवार, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 03 , बस्ती आप अभियुक्तगण-

1-विजय कुमार उर्फ लल्लन मिश्रा
2- अनूप कुमार शुक्ला
3-अनुराधा

को एतद्द्वारा निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:-

प्रथम - यह कि दिनांक 11-06-2018 को समय अदम तहरीर बस्थान ग्राम ओझागंज अन्तर्गत थाना कप्तानगंज, जिला बस्ती में आप लोगों ने एक राय होकर सामान्य आशय की पूर्ति में वादी मुकदमा राम प्रकाश मिश्र की पत्नी प्रभा मिश्रा व भाई की पत्नी किरन व कमला मिश्रा को लात, मूका व लाठी डण्डा से मार पीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो भा०द०सं० की धारा- 323 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगों ने ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में एक राय होकर सामान्य आशय की पूर्ति में वादी मुकदमा के भाई की पत्नी किरन मिश्रा को लाठी, डण्डा से मार पीटकर गम्भीर चोटें कारित की, कि यदि उससे उसकी मृत्यु हो जाती, तो आप लोग हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो भा०द०सं० की धारा- 308 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय- यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगों ने एक राय होकर वादी मुकदमा एवं उसके घर की औरतों को मारने पीटने की तैयारी के साथ उसके घर में घुस कर उसे मारा पीटा। इस प्रकार आप लोगों ने गृह अतिचार कारित किया, जो भा०द०सं० की धारा- 452 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ- यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी पक्ष के लोगों को लोक शांति भंग कराने के आशय से गाली गुप्ता देकर साशय अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा आपराधिक कृत्य किया जो भा०द०सं० की धारा- 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम्- यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी पक्ष के लोगों को

शारीरिक क्षति करने की साशय धमकी दिया है और उन्हें संत्रास कारित किया है, इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा आपराधिक कृत्य किया जो भा०द०सं० की धारा- 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः आप अभियुक्तगण को आदिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिये आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 5-04-2023

(अनिल कुमार खरवार)
J.O. Code-U.P.06500
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या-03, बस्ती

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया जिससे अभियुक्तगण ने इनकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांक 5-04-2023

(अनिल कुमार खरवार)
J.O. Code-U.P.06500
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या-03, बस्ती

UPBS010011902023

न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03, बस्ती।

पीठासीन अधिकारी- (अनिल कुमार खरवार), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) -UP06500**

सेशन केस संख्या ---------268/2023

सरकार .....प्रति.....विजय कुमार उर्फ लल्लन मिश्रा

अपराध संख्या-132/2018
धारा-323,308,452,504,506 भा०दं०सं०
थाना- कप्तानगंज , जिला बस्ती।

जजेज नोट

दिनांक 05-04-2023

पत्रावली आज पेश हुई। अभियुक्तगण विजय कुमार उर्फ लल्लन मिश्रा, अनूप कुमार शुक्ला एवं अनुराधा उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने पुलिस प्रपत्रों का उल्लेख करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323 सपठित धारा 34, 308 सपठित धारा 34, 452 ,504, 506 भा०दं०सं० का आरोप निर्धारित किए जाने का पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके विरूद्ध अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाने के पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं।

उभय पक्ष को सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं साक्ष्यों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण विजय कुमार उर्फ लल्लन मिश्रा,अनूप कुमार शुक्ला एवं अनुराधा के विरुद्ध धारा 323 सपठित धारा 34, 308 सपठित धारा 34, 452 ,504, 506 भा०दं०सं० का आरोप निर्धारित किए जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतएव अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाता है।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया गया, जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की मांग किया। साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 17-04-2023 को पेश हो। साक्षी जरिये तलब हो।

दिनांक 05-04-2023

(अनिल कुमार खरवार)
J.O. Code-U.P.06500
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या-03, बस्ती

Digitally signed by Anil Kumar Kharwar
Date: 2023.04.07 11:36:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court